

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103000292013

व्यवहार वाद कं.-27ए/16

संस्थापित दिनांक-17.05.2013

1.वल्लदेव पुत्र रमचा आदिवासी सेहरिया जाति रावत आयु 36 साल धंधा खेती निवासी ग्राम नावनी, डाराचक, तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0। <div style="text-align: right;">.....वादी</div>
<b>विरुद्ध</b>
1.मुन्ना पुत्र सोमा आदिवासी जाति रावत आयु 50 साल धंधा खेती निवासी ग्राम नावनी तहसील चंदेरी 2.मुतिया पुत्र सरुआ आदिवासी जाति रावत आयु 70 साल धंधा खेती निवासी ग्राम नावनी तह0 चंदेरी 3.बावलाल पुत्र भावसिंह आदिवासी जाति रावत आयु 35 साल धंधा खेती नि0 ग्राम नावनी तह0 चंदेरी 4.अमनोबाई पुत्री भावसिंह जाति रावत धंधा गृहकार्य नि0 ग्राम नावनी तह0 चंदेरी 5.पार्वती वेवा भावसिंह आदिवासी जाति रावत आयु 60 साल धंधा गृहकार्य नि0 ग्राम जारसल चक तहसील चंदेरी। <div style="text-align: right;">.....प्रतिवादीगण</div> 6.म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय अशोकनगर। <div style="text-align: right;">..... तरतीवी प्रतिवादी</div>
वादी द्वारा श्री सुमन अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 01, 03 लगायत 05 पूर्व से एकपक्षीय। प्रतिवादी क्रमांक 02 मृत। वारिसान पूर्व से एकपक्षीय। प्रतिवादी क्रमांक 06 द्वारा श्री चौबे अधिवक्ता।

- / / निर्णय / -

(आज दिनांक 02.03.2017 को घोषित)

01. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम नावनी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 61/4, 61/6, 61/12 रकवा 3 हेक्टेयर (जिसे आगे विवादित भवन से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त विवादित भूमि वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है तथा भूमि सर्वे क्रमांक 61/10 से लगी हुई है। वादी के अनुसार उसके पिता ने पचास-साठ वर्ष पूर्व भूमि को कृषि योग्य बनाया था एवं उस पर काबिज होकर फसल का लाभ उठाता रहा है। वादी के अनुसार वर्तमान में भी वह उक्त

विवादित भूमि पर काबिज है तथा प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। वादी ने अपने वादपत्र में यह अभिवचित किया है कि प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से साठगांठ कर विवादित भूमि का पट्टा करा लिया है और उसकी कोई सूचना वादी को प्राप्त नहीं हुई। वादी के अनुसार प्रतिवादीगण उसे बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि विरोधी आधिपत्य के आधार पर भी वादी को विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त हो गए हैं। वादी ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि को विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री चाही है कि उन्हें उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जावे और साथ ही प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण का तर्क है कि उक्त विवादित भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है तथा वादी का भूमि सर्वे क्रमांक 61/10 पर नाम दर्ज है। अतः प्रतिवादीगण का तर्क है कि उक्त वादपत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

05. वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी ग्राम नावनी तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 61/4 रकवा 1.000 हे०, सर्वे क्रं० 61/6 रकवा 1.000 हे०, सर्वे क्र० 61/12 रकवा 1.000 हे० भूमि, जो नुहारी के नाम से जानी जाती है एवं जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अ ब स द क ख ग घ त थ अक्षरों से लाल स्याही से दर्शाया गया है, का वादी स्वत्व व आधिपत्यधारी है ?	“नहीं”
02.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादगस्त भूमि पर वादी के स्वत्व व आधिपत्य में अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	“नहीं”
03.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

06. वादी ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 बलदेव, वा.सा. 02 दरयाव सिंह, वा.सा. 03 हलकू की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की हैं और साथ ही पंचनामा प्रपी 01, तहसील न्यायालय का प्रकरण प्रपी 02 एवं पंचनामा प्रपी 03 के दस्तावेज अभिलेख पर

प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 रामगोपाल की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशुद्ध एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 03 का निराकरण पृथक से किया जा रहा है।

—:: वादप्रश्न क्र. 01 लगायत 02 ::—

08. वा.सा. 01 बलदेव ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि उसके स्वामित्व की भूमि है। उक्त साक्षी के अनुसार वह उक्त विवादित भूमि पर पिछले पचास—साठ वर्षों से निरंतर कृषि करता चला आ रहा है तथा उसने उस पर कुंआ भी खोद रखा है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादीगण का उक्त विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पिता रमचा को भूमि क्रमांक 61/10 का शासकीय पट्टा हुआ था। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उपर वर्णित सर्वे नंबरों में उसके नाम की कोई भूमि नहीं है। उक्त साक्षी ने अपने कथनों में बताया है कि उसने विवादित भूमि पर कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वा.सा. 02 दरयाव सिंह ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि वादी की भूमि से लगी है जिस पर वादी एवं उसके पिता द्वारा खेती की जाती है। उक्त साक्षी के अनुसार वह नहीं बता सकता कि वादी को कितना पट्टा हुआ था। इसी प्रकार वा.सा. 03 हलकू ने भी अपने कथन में बताया है कि विवादित भूमि पर वादी खेती करता है। उक्त साक्षी के अनुसार वादी उसका रिश्तेदार होकर समधि लगता है।

09. वादी साक्षीगण की साक्ष्य के विपरीत प्र.सा. 01 रामगोपाल ने बताया है कि उक्त विवादित भूमि वादी के स्वत्व की भूमि नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि प्रतिवादीगण के स्वत्व की भूमि है जिस पर वादी अतिक्रमण करना चाहता है। यद्यपि उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रपी 02 की रिपोर्ट एवं पंचनामा प्रपी 03 उसके द्वारा बनाया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा प्रपी 02 में वादी का विवादित भूमि पर पंद्रह—सोलह वर्षों से निरंतर कब्जा चला आना उल्लेखित किया है।

10. वादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर उसका लगातार कब्जा है। यद्यपि वा.सा. 02 एवं वा.सा. 03 की साक्ष्य से ऐसा प्रकट होता है कि उक्त साक्षीगण हितबद्ध साक्षी हैं। वा.सा. 03 ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह वादी का समधि है। और इस प्रकार उक्त साक्षी हितबद्ध साक्षी है। जहां तक वा.सा. 02 की साक्ष्य का प्रश्न है तो निश्चित रूप से उक्त साक्षी भी हितबद्ध साक्षी प्रकट हो रहा है, क्योंकि उक्त साक्षी के अनुसार उसे पट्टे की कोई जानकारी नहीं है। वादी की ओर से जो पंचनामा प्रपी 01 प्रस्तुत किया गया है उसके अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि उक्त विवादित भूमि पर वादी का कब्जा है। उक्त तथ्य को प्रतिवादी साक्षी ने भी स्वीकार किया है। यद्यपि वादी द्वारा पंचनामे के किसी अन्य साक्षी की साक्ष्य वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, किंतु तब भी प्रपी 01, प्रपी 03 के पंचनामे के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि उक्त विवादित भूमि पर वादी का कब्जा है। वादी द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज अभिलेख पर

प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. वादी ने उक्त विवादित भूमि से संबंधित किसी भी वर्ष के खसरा एवं किश्तबंद खतौनी को अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह दर्शित हो रहा है कि उसका उक्त विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है, किंतु मात्र कब्जे के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता कि वादी का उक्त विवादित भूमि में स्वत्व है। वादी ने उक्त विवादित भूमि के पटटे से संबंधित कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। वादी ने ऐसा भी कोई राजस्व दस्तावेज या राजस्व न्यायालय का आदेश अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि वादी को उक्त विवादित भूमि में स्वत्व प्राप्त हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति मात्र आधिपत्य के आधार पर अपना स्वत्व प्रमाणित नहीं कर सकता। जहां तक विरोधी आधिपत्य का प्रश्न है तो इसके लिए आवश्यक है कि वादी उक्त विवादित भूमि पर लगातार बे-रोकटोक अपना आधिपत्य प्रमाणित करे। उल्लेखनीय है कि वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि शासकीय भूमि है। अतः ऐसी दशा में वादी को उक्त विवादित भूमि पर तीन वर्षों का निरंतर शांतिपूर्ण आधिपत्य प्रमाणित करना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी उक्त विवादित भूमि पर अधिकतम पंद्रह-सोलह वर्षों का आधिपत्य प्रमाणित कर पाया है। उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा अन्य कोई स्वत्व संबंधी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी उक्त विवादित भूमि में अपना स्वत्व प्रमाणित करने में असफल रहा है। जिसके फलस्वरूप वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। परिणामतः वादप्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 नकारात्मक निर्णीत किये जाते हैं।

—:: वादप्रश्न क्रं.-03 ::—

12. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।

13. वाद का संपूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(जफर इकबाल)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चंदेरी, जिला अशोकनगर